अनुस्मारक-1

फा.सं.08/01/2026-रा.भा.(सेवा)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय/ राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-II भवन, बी विंग, चौथा तल,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक: **16 अप्रैल, 2026**

कार्यालय ज्ञापन

विषय: वर्ष 2025-26 में वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) की ऑनलाइन प्रस्तुति तथा वर्ष 2024-25 के लंबित APAR मामलों के संबंध में।

उपरोक्त विषय पर राजभाषा विभाग के दिनांक 16.02.2026 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में पुनः सभी CSOLS संवर्ग के कार्मिकों के संज्ञान में लाया जाता है कि वर्ष 2025-26 हेतु APAR निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत SPARROW पोर्टल पर दर्ज की जानी है। निर्धारित समय-सीमा (अनुलग्नक-I) के भीतर यदि Officer Reported Upon (ORU) / Reporting Officer (RO) / Reviewing Authority (RA) द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जाती है, तो APAR स्वतः (AUTO-FORWARDED) अगले स्तर पर अग्रेषित हो जाएगी।

2. यह देखा गया है कि SPARROW (sparrow.rajbhasha.gov.in) पर पंजीकृत लगभग 750 कार्मिकों में से लगभग 250 कार्मिकों की APAR का workflow अभी तक generate नहीं किया गया है तथा APAR, ORU को प्रेषित नहीं की गई है।

3. इसके अतिरिक्त, वर्ष 2024-25 के APAR के संबंध में भी यह अवगत कराया जाता है कि अभी भी कुछ कार्मिकों की APAR Reporting, Reviewing, Disclosure एवं Closing स्तरों पर लंबित हैं। साथ ही, जिन मामलों में तकनीकी कारणों से ऑनलाइन APAR सृजित न होने के कारण Physical APAR प्रस्तुत करने की अनुमति दिनांक 20 फरवरी तक प्रदान की गई थी, उनमें भी कुछ मामलों में अभी तक APAR प्रस्तुत नहीं की गई है।

4. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष 2024-25 के APAR हेतु अब कोई अतिरिक्त समय-सीमा विस्तार नहीं दिया जाएगा। शेष सभी ऑनलाइन लंबित APAR मामलों को दिनांक 30 अप्रैल, 2026 को अंतिम रूप से बंद कर दिया जाएगा और जो APAR जिस स्तर पर लंबित है, उसे उसी स्तर पर बंद माना जाएगा। ऐसे ऑनलाइन लंबित अथवा अप्राप्त Physical APAR भविष्य में पदोन्नति आदि के मामलों में विचार के लिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे।-

5. अतः सभी संबंधित अधिकारियों एवं Nodal Officers/Custodian से पुनः अनुरोध है कि वे तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि वर्ष 2025-26 की APAR प्रक्रिया समय-सीमा के भीतर पूर्ण हो सके तथा यदि वर्ष 2024-25 के कोई लंबित APAR हो तो, उनका 20 अप्रैल, 2026 से पहले निपटान किया जा सके। साथ ही, जिन CSOLS कार्मिकों/नए कार्मिकों का SPARROW पर खाता उपलब्ध नहीं है, वे सेवा अनुभाग से संपर्क कर आवश्यक विवरण उपलब्ध कराएं।

6. Nodal Officers से यह भी अनुरोध है कि वे APAR की समय-सीमा एवं auto-forwarding व्यवस्था के संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों (ORU/RO/RA) को अवगत कराते हुए समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करें।

7. किसी भी तकनीकी कठिनाई की स्थिति में संबंधित विवरण के साथ SPARROWSUPPORT-CSOLS@GOV.IN तथा soservice-dol@gov.in पर संपर्क किया जा सकता है। सभी मंत्रालयों/विभागों/CSOLS कार्मिकों से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन की प्रति संबंधित CSOLS कार्मिकों, Reporting/Reviewing/Accepting Authorities तक पहुँचाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: अनुलग्नक-I(APAR प्रक्रिया की समय-सीमा)

(ले. कर्नल. राम नरेश शर्मा)
निदेशक (सेवा)
दूरभाष: 011-23438125

सेवा में,

1. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग से संबंधित सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के राजभाषा अनुभाग के नियंत्रण अधिकारी/ अवर सचिव (प्रशासन/स्थापना) को राजभाषा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से।
2. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सभी कार्मिकों को वेबसाइट के माध्यम से।
3. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राजभाषा विभाग, एन.आई.सी। कृपया इस कार्यालय ज्ञापन को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. गार्ड फ़ाइल

वर्ष 2025-26 के लिए APAR प्रक्रिया की समय-सीमा

क्रम सं.	गतिविधि (Activity)	पूर्ण करने की अंतिम तिथि/ Date to be which completed	ऑटो फॉरवर्ड की तिथि/Date of Auto Forwarding
1	PAR Custodian द्वारा APAR भरने हेतु Workflow, PAR Generation तथा ORU को वितरण	**01 अप्रैल, 2026**	-
2	CSOLS कार्मिकों द्वारा रिपोर्टिंग अधिकारी (Reporting Officer) को स्व-मूल्यांकन की प्रस्तुति	15 मई, 2026	**16 मई, 2026**
3	रिपोर्टिंग अधिकारी (Reporting Officer) द्वारा पुनरीक्षण अधिकारी (Reviewing Officer) को रिपोर्ट अग्रेषण	30 जून 2026	**01 जुलाई 2026**
4	पुनरीक्षण अधिकारी (Reviewing Officer) द्वारा समीक्षा पूर्ण कर Admin/Custodian/CR Section को अग्रेषण	31 जुलाई 2026	**01 सितंबर, 2026**
5	CR Section द्वारा ORU को रिपोर्ट का प्रकटीकरण (Disclosure to the Officer Reported Upon)	01 सितंबर, 2026	
6	प्रतिवेदन प्राप्त होने की स्थिति में आपत्ति दर्ज करना Submission of representation, if any, on APAR, by Officer Reported Upon	प्रकटीकरण प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन के भीतर	
7	अभ्यावेदन को सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करना Forwarding of representation to the Competent authority	21 सितंबर, 2026	
8	अभ्यावेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय Disposal of representation by the Competent Authority	अभ्यावेदन प्राप्ति से 01 माह के भीतर	
9	सक्षम प्राधिकारी के निर्णय का APAR सेल को संप्रेषण Communication of the decision of the Competent authority on the representation by the APAR Cell	15 नवंबर 2026	
10	अंतिम लॉकिंग और रिकॉर्ड में दर्ज करना End of entire APAR process, after which the APAR will be finally taken on record	**30 नवंबर 2026**	